मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462002

क्रमांक एफ–58/1/11/यो/19 भोपाल, दिनांक 11.03.2011

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत परफारमेंस गारण्टी के अन्तर्गत आने वाले कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण।

******

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत परफारमेंस गारण्टी के अन्तर्गत आने वाले मार्गों/कार्यों के समय–समय पर निरीक्षण हेतु निम्नानुसार समय–सारणी निर्धारित की जाती है :–

1. उपयंत्री – 15 दिवस में कम से कम एक बार।
2. अनुविभागीय अधिकारी – एक माह में एक कम से कम बार।
3. कार्यपालन यंत्री – दो माह में कम से कम एक बार।
4. अधीक्षण यंत्री – तीन माह में कम से कम एक बार।

निरीक्षण के पश्चात प्रत्येक अधिकारी अनिवार्य रूप से निरीक्षण टीप जारी करेंगे।

प्रत्येक मार्ग की परफारमेंस अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व संबंधित अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी मार्ग का संयुक्त निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करेंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुबंध के प्रावधानानुसार सभी आवश्यक सुधार एवं मरम्मत कार्य करने हेतु ठेकेदार को लिखित में सूचित करेंगे एवं परफारमेंस गारंटी की अवधि समाप्त होने के पूर्व सभी आवश्यक सुधार एवं मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। परफारमेंस गारण्टी की अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः मार्ग का विस्तृत निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग की स्थिति तकनीकी मापदण्डों के अनुसार अच्छी है एवं ठेकेदार द्वारा सभी आवश्यक सुधार कार्य कर दिये गये हैं। इसके पश्चात ही ठेकेदार की परफारमेंस सिक्युरिटी की राशि वापिस की जायेगी। परफारमेंस सिक्युरिटी की राशि वापिस करने के पूर्व अधीक्षण यंत्री द्वारा संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। उपरोक्त प्रमाण पत्र के अभाव में यदि परफारमेंस गारण्टी की राशि वापिस की जाती है तो उसके लिए कार्यपालन यंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव,
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय भोपाल

पृ. क्रमांक एफ–58/1/11/यो/19351 **भोपाल, दिनांक 11.03.2011**
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

11/3/2011
अपर सचिव,
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय भोपाल

119425
16/3/11

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा .... मार्ग, जो कि दिनांक . ... तक परफारमेंस गारण्टी के अन्तर्गत था, का निरीक्षण दिनांक .... को किया गया था। मार्ग की स्थिति सभी तकनीकी मापदण्डो के अनुसार अच्छी है एवं ठेकेदार द्वारा अनुबंधानुसार सभी सुधार कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। ठेकेदार की परफारमेंस गारण्टी की राशि अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार वापिस की जाने की अनुशंसा की जाती है।

अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
....